FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम जसमाल**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/277/2022 दा0दि0 31.10.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी शेखर पुत्र राधेलाल जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप रजि0 सं0 यू.पी. 85 सी.टी. 6482 धारा 5, 8, आर.बी.एक्ट के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना कठूमर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना कठूमर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 2436 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन से पूर्ण अनुसंधान चुका है। वाहन की आवश्यकता नहीं है। जप्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्द किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 यू.पी. 85 सी.टी. 6482 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये मात्र/-) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 15.11.2022 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

5/11/22

पत्रावली पेश हुई। कलेक्टर महोदय/अति० कल०/
अनु० पी०ठा०सीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 12/11/22 को पेश हो।

रीडर

12/11/22

पत्रावली पेश हुई। कलेक्टर महोदय/अति० कल०/
अनु० पी०ठा०सीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 18/11/22 को पेश हो।

रीडर

18/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निर्धारित राशि के भुगतान मुताबिक पेश किया। जो तहसील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तहसील दफ्तर दाखिल [illegible]। S.H.O., [illegible] को अवगत कराये है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)